रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252881
CG-DL-E-12032024-252881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1234] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1234] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

का.आ. 1296(अ).—नईम अहमद खान की अध्यक्षता वाला जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जिसे इसमें इसके पश्चात जेकेएनएफ कहा गया है) विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं;

और, जेकेएनएफ के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी क्रियाकलापों और भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को संभार-तंत्र समर्थन प्रदान करने में शामिल रहे हैं;

और, जेकेएनएफ के नेता और सदस्य कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को अंजाम देने के लिए हिंसक प्रदर्शनकारियों को जुटाने में शामिल रहे हैं, जिनमें आतंकवादी क्रियाकलापों का समर्थन करना, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करना शामिल है;

और, जेकेएनएफ लगातार कश्मीर के लोगों को निर्वाचन में भाग न लेने के लिए कहता रहा है और इस तरह भारतीय लोकतंत्र के संविधानिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त यथार्थ बुनियादी मूल को निशाना बनाया है और अवरोध पैदा किया है;

और, जेकेएनएफ और इसके सदस्यों के क्रियाकलापों से देश की सांविधानिक प्राधिकार और सांविधानिक व्यवस्था के प्रति घोर अनादर प्रदर्शित होता है;

और, जेकेएनएफ राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक क्रियाकलापों में शामिल होकर भारत से जम्मू और कश्मीर के अलगाव को बढ़ावा देने, सहायता करने और दुष्प्रेरित करने के लिए; लोगों के बीच नफरत के बीज बोने; लोगों को कानून और व्यवस्था अस्थिर करने के लिए उकसाने; जम्मू और कश्मीर को भारत संघ से अलग करने के लिए हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने; स्थापित सरकार के विरुद्ध नफरत को बढ़ावा देने और जम्मू-कश्मीर में कई मौकों पर निर्वाचन के बहिष्कार हेतु खुलकर आह्वान करने के क्रियाकलापों में शामिल है;

और ,केंद्रीय सरकार की यह राय है कि यदि जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं लगाया गया ,तो वह निम्नलिखित के लिए इस अवसर का उपयोग करेगा–

(i) देश की क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक राष्ट्र-विरोधी क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए;

(ii) जम्मू और कश्मीर के भारत संघ के साथ विलय पर विवाद खड़ा करते हुए, उसे भारत संघ से अलग करने की वकालत जारी रखने के लिए; और

(iii) भारत के प्रति नफरत पैदा करने और लोक व्यवस्था को बाधित करने के आशय से जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच झूठी कहानी गढ़ने और राष्ट्र विरोधी भावनाओं का प्रचार जारी रखने के लिए;

और ,उपर्युक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार का दृढ़ मत है कि जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए ,जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगम 'घोषित करना आवश्यक है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार का दृढ़ मत है कि जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी भी आदेश के अध्यधीन, शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा.सं.14017/13/2024-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

S.O. 1296(E).—Whereas, the Jammu Kashmir National Front (hereinafter referred to as the JKNF), chaired by Nayeem Ahmad Khan is indulging in unlawful activities, which are prejudicial to the integrity, sovereignty, and security of the country;

And, whereas, members of the JKNF have remained involved in supporting terrorist activities and anti-India propaganda for fuelling secessionism in Jammu and Kashmir and providing logistic support to terrorists in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the leaders and members of JKNF have been involved in mobilising violent protesters in various parts of Kashmir for perpetrating unlawful activities, including supporting terrorist activities, sustained stone-pelting on Security Forces in Jammu and Kashmir;

And, whereas, JKNF has constantly asked the people of Kashmir to refrain from taking part in elections and thereby targeted and hampered the very basic constitutionally recognized fundamentals of Indian democracy;

And, whereas, the JKNF and its members by their activities show sheer disrespect towards the constitutional authority and constitutional set up of the country;

And whereas, JKNF is involved in promoting, aiding and abetting secession of Jammu and Kashmir from India by involving in anti-national and subversive activities; sowing seeds of dis-affection amongst people; exhorting people to destabilise law and order; encouraging the use of arms to separate Jammu and Kashmir from the Union of India; promoting hatred against established Government and giving clarion call to boycott elections on multiple occasions in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that if there is no immediate curb or control of unlawful activities of the Jammu Kashmir National Front (JKNF), it will use this opportunity to –

(i) continue with the anti-national activities which are detrimental to the territorial integrity, security and sovereignty of the country;

(ii) continue advocating the secession of Jammu and Kashmir form the Union of India while disputing its accession to the Union of India; and

(iii) continue propagating false narrative and anti-national sentiments among the people of Jammu and Kashmir with the intention to cause disaffection against India and disrupt public order;

And, whereas, the Central Government for the above-mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the Jammu Kashmir National Front (JKNF), it is necessary to declare the Jammu Kashmir National Front (JKNF) as an ‘unlawful association’ with immediate effect;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Jammu Kashmir National Front (JKNF) as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Jammu Kashmir National Front (JKNF) as an ‘unlawful association’ with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/13/2024-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA